कार्यालय अंचल अधिकारी, सोनाहातु (राँची)।

(देंखे अभिलेख हस्तक का नियम 129)

आदेश पत्रक रा0 13/05/23 से 02/06/23 तक

जिला राँची .... सं0 02 .... सन 2023-24

केस का प्रकार :– विविध अपील वाद संख्या–01/2020-2021 राम मोहन मुण्डा बनाम हंस सिंह मुण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13/05/23	न्यायालय उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, बुण्डू, राँची के ज्ञापांक–1263(ii)/ रा0 दिनांक– 29.11.2022 के द्वारा विविध अपील वाद सं0– 01/2020–21, राम मोहन मुण्डा बनाम हंस सिंह मुण्डा में अंचल अधिकारी, सोनाहातु के विविध वाद सं0– 01/2015–16 में दिनांक– 29.09.2016 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किया गया है, एवं दोनो पक्षों को पुनः सुनवाई कर नियमानुसार विधि–सम्मत आदेश पारित करने का निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दिनांक–16.05.2023 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दें, एवं अभिलेख दिनांक– 16.05.2023 को रखें। 13/05/23 अंचल अधिकारी, सोनाहातु।	
16/05/23	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित हुए, एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दिनांक–19.05.2023 को उपस्थित होने का निर्देश दें, एवं अभिलेख दिनांक– 19.05.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, सोनाहातु।	
19/05/23	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। समर्पित दस्तावेजों के आवलोकन से ज्ञात हुआ की मामला वंशावली से संबंधित है। अतः दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दिनांक–27.05.2023 को सत्यपित वंशावली समर्पित करने का निर्देश दें। अभिलेख दिनांक– 27.05.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, सोनाहातु।	

27/05/23	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के द्वारा वंशावली समर्पित किया गया, जो दो तरह का मुखिया के द्वारा सत्यापित पाया गया एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा अन्य कागजात समर्पित करने हेतु 7 दिनों का समय माँगा गया। अतः दानों पक्ष को दिनांक– 02.06.2023 को उपस्थित होने का नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 02.06.2023 को रखें । अंचल अधिकारी, सोनाहातु।	
02/06/23	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष कागजात समर्पित करने में असफल रहा। पूर्व में समर्पित किए गये दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ की मामला विविधवाद का है जो स्वत्व से संबंधित है। इसके सुनवाई हेतु अद्योहस्ताक्षरी सक्षम प्राधिकार नहीं है। दोनों पक्ष इसके संदर्भ में सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है। इसी निरूपण के साथ अभिलेख की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु। अंचल अधिकारी सोनाहातु।	

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2023.06.09 18:07:16 +05:30
Location: 192.168.43.179